

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक शाखा
2. जिस व्यक्ति या संस्था का नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
3. पता	19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग लखनऊ - 226001
4. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	
5. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2022 का आवेदन शुल्क
6. चालान की सकल राशि	रु0 400/-
7. चालान की निबल राशि	
8. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर	0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें 60- अन्य सेवायें 800- अन्य प्राप्तियाँ 140000- उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं आदि से प्राप्तियाँ

9. लेखा-शीर्षक का 15 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 0 7 0	6 0	8 0 0	1 4 0 0	0 0	400/-

धनराशि (शब्दों में) - रूपया चार सौ मात्र

योग

400/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या:.....अंको में रु0

शब्दों में रु0

दिनांक-

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार /

बैंक की मुहर सहित

रोकड़ (विवरण सहित)

नोट / सिक्के	संख्या	धनराशि रूपयों में
2000 X		
500 X		
100 X		
50 X		
20 X		
10 X		
2 X		
1 X		
चेक पूर्ण (विवरण के साथ)		
योग		

टिप्पणी:-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्ति) में दर्शाये गये लेख-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा- शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णकित कर धनराशि जमा की जायेगी।